न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।

(पीठ)

पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र :– 06/2008-09 अन्तर्गत धारा–220 भू–राजस्व अधिनियम, 1901
आदेश 47 नियम 1 सिविल प्रकिया संहिता

श्रीमती निर्मला देवी — —बनाम— श्री अनिल कुमार

कोरम :

1. **सुनील कुमार मुट्टू, आई0ए0एस0,अध्यक्ष**
2. **पी0एस0 जंगपांगी, आई0ए0एस0, सदस्य(न्यायिक)**

प्रस्तुतकर्ता अधिवक्तागण :

प्रार्थी की ओर से : श्री अरूण सक्सेना।
प्रतिवादी की ओर से : श्री कुशलपाल सिंह।

प्रतिवेदनीय : हॉ/नहीं

निर्णय

यह पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र विद्वान अपर मुख्य राजस्व आयुक्त द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत निगरानी संख्या–68/2006–07 श्रीमती निर्मला देवी बनाम अनिल कुमार में पारित निर्णय व आदेश दिनांक 08–05–2009 के विरूद्व इस आधार पर योजित किया गया कि प्रकरण में विरासत के प्रश्न को देखा जाना था, कि विद्वान आयुक्त, गढवाल मण्ड़ल द्वारा विक्रय पत्र के आधार पर एक नया वाद को सम्मिलित कर प्रकरण का निस्तारण किया गया जिसकी पुष्टि विद्वान अपर मुख्य राजस्व आयुक्त द्वारा प्रश्नगत निगरानी में की गई जबकि नामान्तरण वाद का आधार विक्रय पत्र न होकर विरासत है, एवं कि विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण का प्रकरण धारा–34(5) भू–राजस्व अधिनियम से बाधित है जिस तथ्य की उपेक्षा हो गई है।

प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र को सर्वप्रथम ग्रहण किया गया एवं दिनांक 23–11–2011 के आदेश के द्वारा उसके निस्तारणार्थ खण्ड पीठ का गठन किया गया।

हमने पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना एवं अभिलेखों का अवलोकन किया।

प्रार्थिनी/निगरानीकत्री के विद्वान अधिवक्ता के मुख्य तर्क ये हैं कि नामान्तरण का आधार उत्तराधिकार था न कि विक्रय पत्र एवं विक्रय पत्र के आधार पर किसी भी स्तर पर नामान्तरण की प्रार्थना नहीं की गई थी एवं विक्रय पत्र किसी स्तर पर कियान्वित (act upon) नहीं हुआ, अतः प्रकरण में उत्तराधिकार के बिन्दु को निस्तारित किया जाना आवश्यक है। चूँकि प्रार्थिनी मूल भू–धारक गिरधारी लाल की सगी भतीजी है एवं उत्तरदाता के पिता ललता प्रसाद गिरधारी लाल के पुत्र नहीं है अतः प्रार्थिनी/निगरानीकत्री उत्तराधिकार के आधार पर गिरधारी लाल की भूमि पर विरासतन नामान्तरण की अधिकारिणी है।

विपक्षी/उत्तरदाता के विद्वान अधिवक्ता के मुख्य तर्क ये हैं कि रांजस्व अभिलेखों में नामान्तरण की कार्यवाही वर्ष 1944 एवं वर्ष 1952 में दो विकय पत्रों के आधार पर हुई है एवं प्रार्थिनी/निगरानीकत्री जिस व्यक्ति से उत्तराधिकार के आधार पर अपने पक्ष में नामान्तरण चाह रही है उस व्यक्ति का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज ही नहीं रहा है। अतः पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है।

हमारा स्पष्ट मत है कि किसी भी निर्णय/आदेश के पुनर्विलोकन के आधार अत्यन्त सीमित हैं एवं इन आधारों को इस प्रकार विस्तारित नहीं किया जा सकता है कि पुनर्विलोकन की कार्यवाही का स्वरूप अपील की तरह हो जाय। आक्षेपित निर्णय/आदेश में तथ्यात्मक एवं विधिक विश्लेषण सही न होना अथवा उनमें त्रुटि होना पुनर्विलोकन का आधार नहीं हो सकता है। विद्वान तत्कालीन अपर मुख्य राजस्व आयुक्त ने उनके समक्ष प्रस्तुत तथ्यों एवं विधिक स्थितियों का संज्ञान लेकर ही आक्षेपित निर्णय/आदेश पारित कर विद्वान आयुक्त के आदेश दिनांक 20–09–2006 की पुष्टि की है।

विद्वान आयुक्त का आदेश दिनांक 20–09–2006 अति विस्तृत एवं स्पष्ट है। उनके द्वारा प्रकरण का निस्तारण विकय पत्रों के आधार पर नहीं किया गया हैं, अपितु वर्ष 1944 एवं तत्पश्चात वर्ष 1952 में किए गए विकय पत्रों के आधार पर जो अभिलेखों की स्थिति बनी है उसके अनुसार किया गया है। यह भी स्पष्ट है कि प्रार्थिनी/निगरानीकत्री स्वंय को जिस गिरधारी लाल की वारिस (भतीजी) बताती है उसका नाम जमींदारी विनाश से पूर्व के अभिलेखों में दर्ज था ही नहीं। अतः विद्वान अपर मुख्य राजस्व आयुक्त द्वारा विद्वान आयुक्त के एतद्संबंधी विनिश्चियन की पुष्टि विधिसम्मत रूप से की है।

नामान्तरण की कार्यवाही एक सरसरी कार्यवाही है ऐसी कार्यवाही में स्वत्व के अति गूढ़ प्रश्नों में उलझना उचित नहीं है। तद्नुसार हम प्रस्तुत पुनिर्विलोकन प्रार्थना पत्र को पोषणीय नहीं पाते हैं।

आदेश

पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र अस्वीकृत किया जाता है। अवर न्यायालयों की वाद पत्रावलियाँ वापस तथा इस न्यायालय की पत्रावली सँचित हो।

(पी0एस0 जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)।

(सुनील कुमार मुद्दू)
अध्यक्ष।

आज दिनांक 14–11–2013 को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित ।

(पी0एस0 जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)।